



2026:AHC:44947-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 8/2026

अशोक कुमार गुप्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्रीराम धर दूबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शुधांशु श्रीवास्तव (अपर मुख्य सरकारी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश पीठ

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को निर्देश देने हेतु दायर की गई है कि वे ग्राम पंचायत बढईपुरवा, विकास खंड बासगांव, जिला गोरखपुर में कथित दोषियों के विरुद्ध जांच पूर्ण करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. अनुश्रुति प्रस्तुत की गई है, जिसमें *अंतर्वस्तु* रूप से यह दर्शाया गया है कि अपेक्षित जांच करने के पश्चात, आरोप निराधार पाए गए हैं।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि कोई जांच नहीं की गई और जांच रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है।
4. निर्देशों के साथ, शिकायत की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जो याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ दायर नहीं की गई थी।
5. शिकायत के अवलोकन से प्रतिबिंबित होता है कि शिकायत में बिना किसी विवरण के केवल सतही एवं सामान्य (सर्वग्रासी) आरोप लगाए गए हैं।
6. इस परिप्रेक्ष्य में, हम रिट याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः यह याचिका खारिज की जाती है।

26 फरवरी, 2026

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली) (न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”